लैंगिक उत्पीड़न, भेदभाव एवं महिलाओं के प्रति हिंसा इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित अर्द्धदिवसीय कार्यशाला

लैंगिक उत्पीड़न सम्बंधी जानकारीः–

महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अन्तर्गत महिलाओं को उनके कार्यस्थल (एच0बी0टी0यू0, कानपुर) पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है। इस ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक महिला को उनके साथ हो रहे यौन उत्पीडन के प्रति जानकारी प्रदान कर, उन्हें जागरुक एवं सशक्त बनाना है।

इस ऐक्ट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैः–

1– कार्यस्थल के सम्बंध में "पीड़ित महिला" का अर्थ चाहे वह किसी आयु की हो, जो यौन उत्पीड़न होने का आरोप लगाती है।

2– कार्यस्थल में सम्मिलित है– कोई भी विभाग, कोई भी निजी क्षेत्र का संगठन, छात्रावास, कोई खेल परिसर, संस्थान/विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई स्थान।

3– "यौन उत्पीड़न" में निम्न मे से कोई एक या अधिक अवांछित कार्य या व्यवहार शामिल है– शारीरिक सम्पर्क, यौन अनुग्रह या अनुरोध, अभद्र टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण इत्यादि।

रोकथाम, निवारण एवं निषेध–

1– महिलाओं हेतु एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व है।

2– कोई भी पीड़ित महिला/छात्रा घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति (आई0सी0सी0), एच0बी0टी0यू0 को यौन उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है।

3– इस अधिनियम के तहत, आंतरिक शिकायत समिति मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर जाँच पूरी करेगी और आगे की कार्यवाही के लिए नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी सिफारिशें अग्रसारित करेगी।

4– झूठे आरोपों की भी उतनी ही गम्भीरता से जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

5– पीड़ित महिलाएँ/छात्रा, आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायत दर्ज करा सकते है।

उक्त के अतिरिक्त पीड़ित महिला/छात्रा आंतरिक शिकायत समिति से सम्पर्क कर कानूनी कार्यवाही हेतु उचित मार्गदर्शन एवं जानकारी प्राप्त कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 (download link: https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7203627_UGC_regulations-harassment.pdf) का संदर्भ ग्रहण कर सकते है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं हिंसा सम्बंधी जानकारीः–

विश्वविद्यालय में **कार्यरत महिला अथवा अध्ययनरत छात्रा के साथ हिंसा अथवा भेदभाव किए जाने की स्थिति में पीड़ित महिला/छात्रा अपनी हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायत, विश्वविद्यालय कुलसचिव/सक्षम अधिकारी** के पास दर्ज करा सकती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 से 35 तक प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के विषय में दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 में महिलाओ के प्रति विशेष अधिकार प्रदान किए गए है।

लैंगिक उत्पीड़न से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ–

धारायें	नियम
धारा–2	इसके अंतर्गत व्यधित महिला घरेलू कर्मकार व नियोजक और प्रत्यर्थी के द्वारा उत्पीड़न
धारा–3	लैंगिक उत्पीड़न का गठन
धारा–4	परिवाद समिति का गठन
धारा–5	जिला अधिकारी की अधिसूचना

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रदत्त एजेन्सियाँ व विभाग, महिला उत्पीड़न के संरक्षण हेतु बनायें गये है जो कि निम्न है:–

एजेन्सी/विभाग	दूरभाष नं0
महिला हेल्प लाइन (भारत)	1091
एन0सी0डब्लू0	7827170170
उत्तर प्रदेश महिला कमिश्नर	0522–2306403
महिला हेल्प लाइन (उत्तर प्रदेश)	1090
सम्बन्धित पुलिस स्टेशन (नवाबगंज)	9454403740
पी0आर0बी0	112
साइबरक्राइम	1930

विश्वविद्यालय हेल्पलाइन नम्बर–

माननीय कुलपति महोदय	9721456001	vc@hbtu.ac.in
कुलसचिव	9721456002	registrar@hbtu.ac.in
अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण	7081300503	dsw@hbtu.ac.in
अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति (आई0सी0सी0)	9721456046	icc@hbtu.ac.in

उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 29/11/2022 को अपरान्ह 02:30 से 04:30 तक विश्वविद्यालय पश्चिमी प्रांगण में स्थित शताब्दी भवन में महिलाओं को उनके लैंगिक उत्पीड़न अथवा भेदभाव के विरूद्ध सशक्त एवं जागरूक बनाने हेतु एक अर्द्धदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला मे लैंगिक उत्पीड़न एवं भेदभाव के विरूद्ध कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) एवं महिला अधिकारी कार्यशाला को सम्बोधित करेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय की समस्त महिला अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्राओं से अनुरोध है कि कार्यशाला में प्रतिभाग कर कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करें।

(प्रो0 रीना सिंघल)
अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति

संख्या: 46/आई0सी0सी0/2022 दिनांक–26/11/2022

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महो0 के सूचनार्थ।
2– कुलसिच, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
3– समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
4– वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
5– सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।

Reena 26.11.2022

प्रो0 रीना सिंघल)
अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति